

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा।

परमिशन वाद सं०-.....13...../2016-17

प्रसंग..महालीर दौली.....बनाम..श्रीमती सुन्दरी देवी.....

आवेदक श्री..महालीर दौली.....पिता/पति..स्व. शुभर दौली.....
ग्राम.....तखन.....पो०.....थाना..जयनगर.....
जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा.46
U(b) 66-2nd Provison के तहत मौजा.....~~तखन~~ फयफना 2
वाड नं०.....
थाना नं०...123...थाना..जयनगर.....जिला-कोडरमा के खाता
नं०.....14.....प्लॉट नं० 2,3,10,16,51,63, रकबा 0.43 1/2 श्री
भूमि श्री.मती सुन्दरी देवी 69,196,221,226,244,256,260,276,280 व 216 मध्ये.....
प्रति/पति..मालि दौली.....
ग्राम.....तखन.....पो०.....थाना..जयनगर.....
जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने हेतु आवेदन दाखिल
किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जाँच
प्रतिवेदन के निमित्त अंचल अधिकारी,...जयनगर.....को भेजे।
साथ ही साथ आम ईशतेहार निर्गत करें। जाँच प्रतिवेदन एवं
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।

28.11.24

अभिलेख उपस्थापित।

उक्त वाद को अग्रर करिवार हेतु
सहम पहचानि के करिवार में स्थापित
किया जाता है।


L.R.D.C
Kod